जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना''

कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे भार की घोषणा कर नियमित कराएं

जयपुर, 10 अक्टूबर। कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 10 अक्टूबर 2014 से 09 जनवरी 2015 तक की अवधि के लिय ही लागू की गई है। पूर्व में यह योजना 30 नवम्बर 2012 तक लागू की गई थी।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जायेगा तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जायेगी एवं मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर उनके भार को नियमित कर दिया जायेगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिये उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होंगे।

उन्होंने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है और वे इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढे हुये भार पर रूपये (2500+2500) 5000/– प्रति हार्स पावर पैनल्टी जमा करानी होगी।

श्री गुप्ता ने बताया कि योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि व नई 11के.वी. लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की सुविधा 10 अक्टूबर 2014 से 09 जनवरी 2015 तक की अवधि के लिये ही दी गई है। 09 जनवरी, 2015 के उपरान्त भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

————————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 160/2014